

Under Jurisdiction of Bilaspur Court Only



साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
South Eastern Coalfields Limited

“A MINI RATNA COMPANY.” “मिनी रत्न कम्पनी ।”

पंजीकृत कार्यालय : सीपत रोड, पो0बा0 नं0 60, बिलासपुर (छ0ग0)– 495 006

Regd. Office : Seepat Road, P.B.No. 60, Bilaspur (C.G.) - 495 006

OFFICE OF THE PUBLIC INFORMATION OFFICER

कार्यालय . लोक सूचना अधिकारी

Telephone No.07752–246339, 5214 (Office) 07752–242920 (Residence)

TELEFAX 07752-246339 ; GRAM : CICCOAL;Telex : 0273-208 SECL IN;E.Mail-pio@seclhq.com

“**RIGHT TO INFORMATION ACT 2005**”

“सूचना का अधिकार अधिनियम 2005”

PROCEDURE FOR SEEKING INFORMATION INCLUDING DEPOSITING OF FEES
UNDER – ‘RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005’

For seeking information under **RTI Act, 2005** one has to give the clear & legible hand written OR typed Application, giving his Name, complete correspondence/postal address and also mentioning exactly what specific Information one wants from this Office (Application should be as per **Section 2 (f)** of the **RTI Act**) and the Application should be addressed to:- **‘Public Information Officer, South Eastern Coalfields Ltd., Seepat Road, Bilaspur (C.G.) 495 006’** enclosing therewith the initial fees of Rs.10/- only in the form of **Indian Postal Order OR Bank Demand Draft** only in favour of **“SECL HQ, Bilaspur.”** payable at Bilaspur (C.G.) OR one can deposit Cash in Cash Section of SECL HQs, Bilaspur Office OR in any of the Area Public Information Office whichever is convenient to the Applicant, so that we can send you the desired information. Please note that only after getting the requisite initial fees of Rs.10/- we shall process the Application for getting information from the concerned Department of SECL.

PUBLIC INFORMATION OFFICER,
SECL HQS., BILASPUR (CG)

“सूचना का अधिकार अधिनियम 2005” के तहत एस.ई.सी.एल. से जानकारी प्राप्त करने तथा निर्धारित शुल्क जमा करने हेतु तरीका

“सूचना का अधिकार अधिनियम 2005” के तहत एस.ई.सी.एल. से जानकारी प्राप्त करने हेतु – आवेदक को सुवाच्य, साफ सुथरा स्पष्ट शब्दों में हस्तलिखित या फिर टाईप किया हुआ आवेदन पत्र जिसमें आवेदक का नाम, पूर्ण पत्र व्यवहार/डाक का पता देते हुए आवेदक को क्या, कौन सी जानकारी/ दस्तावेजों कि छायाप्रति चाहिए दर्शाते हुए {आवेदन “सूचना का अधिकार अधिनियम 2005” के **सेक्शन 2 (फ)** तहत होना चाहिए} एवं आवेदन पत्र ‘लोक सूचना अधिकारी, एस.ई.सी.एल. मुख्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सम्बोधित होना चाहिए तथा आवेदन पत्र के निम्नानुसार किसी भी एक तरीके से निर्धारित शुल्क 10/- मात्र जमा कराना होगा ताकि आवेदन पर आगे कि कार्यवाही कर संबंधित जानकारी आवेदक को प्रदान कर सकें ।

“सूचना का अधिकार अधिनियम 2005” के तहत आपके आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क 10.00 रुपये मात्र (दस रुपये मात्र) बैंक डिमांड ड्राफ्ट या भारतीय पोस्टल आर्डर जो कि – एस.ई.सी.एल. मुख्यालय, बिलासपुर [SECL HQ, Bilaspur] के नाम से देय हो या आप एस.ई.सी.एल. के किसी भी कार्यालय में अर्थात् – एस.ई.सी.एल. मुख्यालय बिलासपुर या किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय के – “क्षेत्रीय लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय” में सम्पर्क करें (जहाँ भी आपको सुविधाजनक हो) और वहां के कैश सेक्शन में नगद पैसा जमा करें और रसीद की छायाप्रति इस कार्यालय में भेजें ताकि संबंधित जानकारी आपको प्रेषित कर सकें। कृपया अवगत होवें कि आपके द्वारा उपरोक्त बताई गई किसी एक विधि से निर्धारित शुल्क 10.00 रुपये मात्र जमा करने के पश्चात् ही आपके आवेदन पर कार्यवाही कि जायेगी ।

लोक सूचना अधिकारी,
एसईसीएल, बिलासपुर (छ.ग.)